

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:- प.1(1)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक २६.५.२१

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर	भीलवाडा	गंगापुर
2.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा	बीकानेर	नोखा
3.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू	चूरू	चूरू
4.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर	चूरू	बीदासर
5.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैपऊ	धौलपुर	सैपऊ
6.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बसेडी	धौलपुर	बसेडी
7.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया	हनुमानगढ़	संगरिया
8.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर
9.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	झुन्झुनू	झुन्झुनू
10.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहावट	जोधपुर जिला	लोहावट
11.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप	जोधपुर जिला	बाप
12.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	जोधपुर जिला	भोपालगढ़
13.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत	पाली	सोजत

(1)

14.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	पाली	सुमेरपुर
15.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	सीकर	श्रीमाधोपुर
16.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	सीकर	लक्ष्मणगढ़
17.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	टोंक	टोंक
18.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	टोंक	निवाई

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(३) २६.५.२०१
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
- शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा/बीकानेर/ चूरू/ धौलपुर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर/ झुन्झुनू/ जोधपुर जिला/ पाली/ सीकर/ टोंक।
- महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाइट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

(३) २६.५.२०१
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)

संयुक्त शासन सचिव